न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर नगर (डीग)

पीठासीन अधिकारी :–विष्णु बसंल (आर.ए.एस.)

पत्र संख्या :– 24 / 21

मुकेश पुत्र गिरधर जाति माली निवासी कातवान का मौहल्ला नगर तहसील नगर जिला डीग।

–––––सायल

बनाम

1. रमनलाल पुत्र इेशर जाति माली निवासी कस्बा नगर तहसील नगर
2. श्रीमान तहसीलदार कम सब रजिस्ट्रार नगर।

–––––असल गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. सुनिल दत्त शर्मा अधिवक्ता सायल
2. अनिल गोयल अधिवक्ता गैरसायल संख्या 01

आदेश **दिनांक : 02.02.2024**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अपने मूल वाद के साथ वि.आ.ख.न. 2519 / 1.31, 1976 / 0.08, 1977 / 0.22, 1979 / 012, 1988 / 0.40, 1980 / 0.01, 1983 / 0.29, 1985 / 0.60 बाके कस्बा नगर तहसील नगर मे स्थित है। यह कि विवादित आराजी सायल व गैरसायल संख्या 01 व तरतीवी प्रतिवादीगण की पैतृक व सयुक्त कब्जे काश्त एंव खातेदारी की आराजी है जिस सयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व सभी एक ही परिवार के सदस्य है। उपरोक्त वर्णित आराजी पूर्वजो से प्राप्त हुई है। आराजी मुत0 को मनवट कर पारिवारिक सहमति से बांट लिया था, और मुताविक मनवट काश्त करते चले आ रहे है परन्तु आराजी मुत0 का अभी तक कानूनी रूप से विभाजन नही हुआा है अब गैरसायल संख्या के मन मे बदयान्ती आ गई। और वह सयुक्त काश्त मे व्यवधान पैदा करता रहता है। दिनांक 21.05.2021 को कस्बा नगर मे ऐलानियॉ धमकी दी है कि वह सायल को आराजी मुत0 से बेदखल करने एंव जोतने बाने मे व्यवधान पैदा करेगा। यदि गैरसायल उक्त धमकी व इरादे मे कामयाब हो गया तो सायल को सख्त हकतलफी होगी, नुकसान अजीम होगा जिसकी पूर्ती जर्रे नकद से नही हो सकेगी और सायल अपने जायज हको से वंचित हो जायेगा। ऐसी सूरत मे सायल गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन सायल के हक मे बखूबी साबित है। अन्त मे निवेदन किया है कि गैरसायल को जरिये अस्थाई निषंधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे ताफैसला आराजी मुत0 को दीगर व्यक्तियो को रहन वय मुतंकिल न करे, निर्माण कार्य न करे, मोका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक 02.06.2021 को एकपक्षीय अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि "वे आ.ता.पे. दिनांक 02.07.2021 तक आराजी खसरा नंबरान 2519/1.31, 1976/0.08, 1977/0.22, 1979/012, 1988/0.40, 1980/0.01, 1983/0.29, 1985/0.60 बाके कस्बा नगर तहसील नगर पर सायल को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल न करे, सायल के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाख्लत नही करें, आराजी के किसी दिशा विशेष का उल्लेख करते हुए अथवा किसी विशेष खसरा नम्बर का पूर्ण उल्लेख करते हुए आराजी क़ो रहन वय मुतंकिल न करें।"

अप्रार्थी संख्या 01 की और से इश आशय का जवाब प्रस्तुत हुआ कि विवादित आराजी को पारिवारिक सहमति से अर्से दराज पुर्व हर दोनो पक्षकारान के बुजुर्गान ने आपसी सहमति से बांट लिया था इस प्रकार मुताविक बंटवारा प्रत्येक सहहिस्सेदार अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है इस तथ्य को स्वयं वादी ने अपने वाद पत्र मे स्वीकार किया है। इस प्रकार एक तरफ तो सायल आपसी सहमति से मनवट कर पारिवारिक सहमति से बांट लेना कथन किया है, दूसरी तरफ वाद पत्र विभाजन है, इस प्रकार सायल का विरोधाभाषी कथन स्वयं सायल के लिए घातक है, प्रार्थना पत्र विधिक दृष्टि से दोषपूर्ण है जो काबिल खारिज योग्य है। सायल द्वारा दर्शाये गये सजरा अपूर्ण है जिसमे इेश्वर की पुत्री इमरती को नही दर्शया हैं। कानुनन विभाजन के दावे मे सभी सहकाश्तकारान को पक्षकार मुकदमा बनाया जाना आवश्यक है, किन्तु सायल ने मदन पुत्र गिरधर, चिरंजी पुत्र धान्धू को पक्षकार मुकदमा नही बनाया है, ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र वार्ड वाई लॉ है, जो आदेश 07 नियम 11 (डी) सी.पी.सी. के तहत काबिल खारिज है। अन्त मे निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सायल मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस सुनी तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमांबदी संवत 2075–78 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पक्षकारान विवादित आराजी के सहकाश्तकार दर्ज है। कानूनन अविभाजित आराजी पर प्रत्येक सहकाश्तकार का प्रत्येक इन्च पर कब्जा माना जाता है तथा सहकाश्ताकरान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। अत आदेश है कि––

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। तथा दिनांक को 02.06.2021 को जारी अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 02.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विष्णु बंसल)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
नगर (डीग)